छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 2011
(फाल्गुन-10, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 01, 05, 07, 11, 14 एवं 15 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री बोधराम कंवर, परेश बागबाहरा, अजीत प्रमोद कुमार जोगी, भोलाराम साहू, लेखराम साहू एवं गुरुमुख सिंह होरा अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 26 तारांकित एवं 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज माननीय श्री रामविचार नेताम, श्री युद्धवीर सिंह जुदेव, श्री भोलाराम साहू एवं श्री जयसिंह अग्रवाल का जन्म दिवस है। मैं उन्हें सदन की ओर से एवं मेरी और से बधाई देता हूं व उनके दीर्घ सफल संसदीय यात्रा के लिये शुभकामनाएं देता हूं। वे सुखी एवं समृद्ध रहें।

3. व्यवस्था
प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों की उपस्थिति क्षीण होना

प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों की कम उपस्थिति के संबंध में माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :-

आज इस बजट सत्र की 10वीं बैठक है। आज की बैठक आरंभ होने पर सभा में उपस्थिति अत्यंत क्षीण थी। प्रश्नकाल में भी माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाने पर 19 में से 6 सदस्य अनुपस्थित रहे।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण काल है। माननीय सदस्यों के प्रश्न आने के पश्चात् शासन से जानकारी संकलित करने व सभा में प्रस्तुत होने तक बहुत समय व राज्य कोष से बड़ी राशि खर्च होती है। इस परिप्रेक्ष्य में सदस्यों की अनुपस्थिति से समस्त व्यय निष्फल होता है।

मेरा दलों के सचेतकों से अनुरोध है कि बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति हेतु समुचित कार्यवाही करें।

4. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज श्री सोहन पोटाई, लोकसभा सदस्य अध्यक्षीय दीर्घा में विराजमान हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत् शौचालय निर्माण योजना में व्याप्त अनियमितता की ओर पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, पंचायत मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश में तौल कांटों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री महंत रामसुंदर दास
(3) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
(4) श्री अमरजीत भगत
(5) श्रीमती अंबिका मरकाम

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य ने प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

(i) ग्राम पंचायत बैकोना में हाई स्कूल खोलने,

(ii) ग्राम पंचायत पशुपतिपुर में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने के संबंध में,

(2) श्री रामदेव राम, सदस्य ने लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अजिरमाकला के गांगरानी नाले पर स्टापडेम सह पुल निर्माण करने के संबंध में,

(3) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

(i) ग्राम रूढ़ा से बोईरमाल-रक्शा मार्ग में लात नाला पर पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम बिरकोल से सिंघोड़ा मार्ग में लात नाला पर पुल निर्माण करने के संबंध में,

(4) श्री ह्दय राम राठिया, सदस्य ने लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

(i) ग्राम गौरबहरी से समकेरा मार्ग में कोलेडेगा नाला पर पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम तिलगा में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने,

(iii) ग्राम टारपाली में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने,

(iv) ग्राम हिंझर से तोलगे के बीच केलो नदी पर पुल निर्माण करने, तथा

(v) ग्राम घटगांव में छात्रावास खोलने के संबंध में,

याचिकाएं प्रस्तुत की।

8. वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री विरेन्द्र कुमार साहू (जारी)

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, परेश बागबाहरा,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

श्री फूलचंद सिंह, डॉ.शक्राजीत नायक, सर्वश्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, टी.एस.सिंहदेव, खेदूराम साहू (जारी)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक
सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री खेदूराम साहू।

सायं 5.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 3 मार्च, 2011 (फाल्गुन 12, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा